शा.वि./ ... कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग।

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/जाँच/2004 जयपुर, दिनांकः 12 OCT 2017

परिपत्र

अखिल भारतीय सेवाऐं (आचरण) नियम, 1968 के नियम, 03 तथा 07 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, कर्त्तव्यनिष्ठा एवम् कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है एवम् प्रेस व सोशल मीड़िया के माध्यम से अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध मनगढ़न्त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित/प्रसारित किए जाते हैं और उनके अनुचित व अशोभनीय आचरण से कार्यालय की छवि धूमिल होती है।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी अथवा संस्थान के विरूद्ध तथ्यहीन, निराधार, असत्यापित, गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अनर्गल/मनगढ़न्त टिप्पणियॉं कतई प्रचारित/प्रसारित नहीं करें, यदि उक्त निर्देशों का किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(भास्कर ए.सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ......।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ......।
8. समस्त जिला कलक्टर .....।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/वि.जांच/4850 (विविध)/17 दिनांकः– 6/11/17

1. समस्त जि.शि.अ. (प्रारंभिक शिक्षा)
2. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक
(विभागीय जांच)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

30/10/2017

नि. प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर 2669

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/जॉच/2004 जयपुर, दिनांकः 13 OCT 2017

अधिसूचना

राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम, 15 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार समस्त जिला कलक्टरों को उनके जिले में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों (जिला स्तरीय) एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुशासनहीनता, आदेशों की अवज्ञा, दुराचरण एवं कर्तव्यों में लापरवाही बरतने की स्थिति में उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियमों के नियम–17 के अधीन लघु शास्तियां (अधिकतम 3 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तक) अधिरोपित करने के लिए विशेष रुप से सशक्त करती हैं।

जिला कलक्टर के दण्डादेश के विरुद्ध सीसीए नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेंगी। यह आदेश जिला कलक्टरों को समय–समय पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करने हेतु पूर्व में जारी किये गये आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

—ह—

(विवेक कुमार)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
10. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
11. समस्त अनुभाग शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रशासनिक सुधार समन्वय कक्ष विभाग(7 अतिरिक्त प्रतियां) शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
13. ए.सी.पी. कम उप निदेशक कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/वि.जांच/4850 (विविध)/17 दिनांकः–6/11/17

1. समस्त जि.शि.अ. (प्रारंभिक शिक्षा)
2. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक 3/11/17

(विभागीय जांच)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर